न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 154/2023

1. कौर सिंह पुत्र नायब सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. गुरजंट सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 3 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 3 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्य
5. सर्वजीत सिंह पुत्र श्री संता सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 3 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. रणजीत सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, जाति जटसिख, निवासी 3 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. कुलवीर सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह, जाति जटसिख, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. राजपाल सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, जाति जटसिख, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

–अप्रार्थीगण

4. हरप्रीत कौर पत्नी अवतार सिंह, जाति जटसिख, निवासी 9 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. बलदेव सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह, जाति मेहरा, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर । (मृतक)
   5/1 अमनदीप कौर पत्नी स्व0 बलदेव सिंह
   5/2 गगनदीप कौर पुत्री स्व० बलदेव सिंह
   5/3 रमनदीप सिंह पुत्र स्वव बलदेव सिंह
   नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता अमनदीप कौर
6. झण्डा सिंह उर्फ कर्मजीत सिंह पुत्र नायब सिंह, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह, जाति जटसिख, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
8. प्रिन्सदीप सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह, जाति जटसिख, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
9. प्रियजीत कौर पुत्री जसविन्द्र सिंह, जाति जटसिख, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

10. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह, जाति जटसिख, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. मनजीत कौर पत्नी जसविन्द्र सिंह, जाति जटसिख, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. कौशल्या देवी पत्नी दलीप सिंह, जाति ओड, निवासी 7 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. सीता देवी पत्नी सुरजीत सिंह, जाति ओड, निवासी 7 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
14. हरपिन्द्र सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र मक्खन सिंह, जाति जटसिख, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
15. अमनदीप कौर पत्नी बलदेव सिंह, जाति मेहरा सिख, निवासी 2 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
16. हरजिन्द्र सिह पुत्र श्री दिलावर सिंह, जाति जटसिख, निवासी 3 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
17. मनजीत कौर पत्नी दिलावर सिंह जाति जटसिख, निवासी 3 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
18. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

औपचारिक अप्रार्थीगण

19. प्रगट सिंह पुत्र जगजीत सिंह जाति जट सिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
20. अनिता गोस्वामी पत्नी सुमित गिरी जाति गोसांई मकान नं. कॉलोनी चक 32 आर.बी. फकीरवाली तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह	प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष मिढढा	अप्रार्थी 1 व 2
3. श्री अमित स्वामी	अप्रार्थी 4 व 7, 11 ता 14,16
4. श्रीमती चन्द्रकान्ता	अप्रार्थी संख्या 10
5. श्री विनोद कुमार भाटी	अप्रार्थी 19, 20
6. पैरोकार राज	अप्रार्थी –18

7. अप्रार्थी संख्या 3, 6, 9, 15, 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 06.11.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण वाके चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11,12,15,16,17,20 के खातेदार मालिक है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 वाके चक 2 सी छोटी मुरब्बा नम्बर 31 के खातेदार है तथा अन्य मुरब्बा नम्बर 1 1,12,13,14,18,17 के काश्तकारान खातेदार हैं। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रार्थना–पत्र है। मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24,25 में से स्वीकृतशुदा रास्ता पर पक्की सड़क बनी हुई है यह सड़क मिर्जेवाला गांव को जाती है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने के लिए इस सड़क से मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में से होकर मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 के कॉर्नर से तथा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 ता 5 व मु.नं. 12 के कि.नं. 21 ता 25 दोनो मुरब्बों की पत्थरलाईन के दोनो तरफ से होते हुए मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21 ता 25 मुरब्बा नम्बर 14 के कि.नं. 21 ता 25 में पिछले करीब 80 वर्षो से दो दो बिस्वा घरेलू रास्ता चल रहा है। इसी रास्ता से प्रवेश करके प्रार्थीगण अपनी भूमि काश्त करते है तथा इसी रास्ता से अपने खेत में कृषि औजार, ट्रैक्टर आदि लाते लेजाते है। मुरब्बा नम्बर 31 के कि.नं. 1,10,11,20,21 के खातेदारान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 इस चालूशुदा रास्ता में आये दिन रूकावट पैदा करते है, धमकी देते हैं कि रास्ता हमं बन्द करेंगे। यह रास्ता करीब 80 वर्षो से चल रहा है और आज भी चालू है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जाने के लिऐ केवल एकमात्र उपर वर्णित रास्ता ही है। और इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश के लिए कोई रास्ता नहीं है। मुरब्बा नम्बर 18,17,11, 12, 13 व 14 के अन्य खातेदारान काश्तकारान इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए सहमत है लेकिन इनमें कुछ काश्तकारान आज उपस्थित न होने के कारण उन्हे औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को इस दो–दो बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाने बाबत कई बार कहा। पहले तो अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 आज कल करते रहे और दिनांक 23–6–2023 को उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया। यही वादकारण है। आवेदन–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि चक 2 सी छोटी मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 के कॉर्नर से तथा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 ता 5 व मु.नं. 12 के कि.नं. 21 ता 25 दोनो मुरब्बों की पत्थरलाईन के दोनो तरफ मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21 ता 25 मुरब्बा नम्बर 14 के कि.नं. 21 ता 25 में से दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2, 7, 10 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में यह कथन कि चक 2 सी छोटी के मु.न. 31 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 में जो स्वीकृत शुद्बा मय रास्ता पर पक्की सड़क बनी हुई है का कथन स्वीकार है परन्तु इस चरण में आगे का यह कथन कि मु. न. 31 के किला नम्बर 1, 10, 11,20,21 व मु.न. 18 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से होकर मु.न. 11 के किला नम्बर 21 के कानर्र से तथा मु.न. 17 में किला नम्बर 1 ता 5 व मु.न. 12 के किला नम्बर 21 ता 25 दोनों मुरब्बों की पत्थर लाईन में दोनो तरफ से होते हुए मु.न. 13 के किला नम्बर 21 ता 25 मु.न. 14 के किला नम्बर 21 ता 25 में पिछले करीब 80 वर्षो से दो–दो बिस्वा घरेलु रास्ता चल रहा है के ... कथन मात्र प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए व

अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए मिथ्या अंकित किए गए है यहां यह कथन करना आवयक है कि न्यायालय आदेशानुसार तहसीदलार द्वारा स्वय मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें अवलोकन करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस रास्ता की प्रार्थीगण मांग कर रहे है वह रास्ता कभी चालू नहीं था तथा प्रार्थीगण को रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है क्यांकि प्रार्थीगण को रास्ता पहले से ही लगता है तथा तहसीलदार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पिछले कई वर्षो से निम्न रास्ता लगता है। तहसीलदार रिपोर्ट पैरा संख्या 1 में यह है कि प्रार्थी वर्तमान में अपने रकबा में आने–जाने के लिए एव चक 3 सी छोटी के मु.न. 15 के किला नम्बर 1,10,11,20,221 एव चक 3 सी छोटी के मु.न. 6 में किला नम्बर 21 से 25 में स्वीकृत शुद्वा रास्ते में मु.न. 13,14 के किला नम्बर 21 से 25 एव मु.न. 12 के किला नम्बर 21 से 25 तथा इसके चिपता नीचे की ओर मु.न. 17 के किला नम्बर 1 ता 5 एव मु.न. 11 के किला नम्बर 21 का कार्नर एव मु.न. 18 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में एक–एक विस्वा घरेलु रास्ता जो कि मौके पर चल रहा है का उपयोग कर रहा है तथा इसी रिपोर्ट में पैरा नम्बर 5 में बताया गया है कि वर्तमान में आवागमन हेतु प्रार्थीगण को कौनसा रास्ता चल रहा है। प्रार्थी को वर्तमान में आवागमन हेतु मु.न. 12, 13, 14, 17, 18 में एक–एक विस्वा चालू घरेलु रास्ता की वैकल्पिक व्यवस्था है इस प्रकार से इस चरण में प्रार्थीगण का यह कथन कि रास्ता मु.न. 31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से होकर मु.न. 11 मु.न. 17 मु.न. 14 मु.न.13 में से स्वीकृत है मात्र झूठे कथनों के आधार पर बेवजह विवाद पैदा करने व मु.न. 31 में रास्ता निकालने के आशय से गलत तथ्यों के आधार इस चरण में मिथ्या कथन अंकित किए है तहसीलदार की मौका रिपोर्ट को प्रारूप 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है उसमें स्पष्ट लिखा है कि मु.न. 31 में मुंग की फसल खड़ी है। रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 20 ने मु.न. 14 के किला नम्बर 21 ता 25 रास्ता हेतु अपनी स्वीकृति दी है सुखदर्शन अप्रार्थी संख्या 20 के द्वारा उक्त स्वीकृति इस आधार पर दी है यह भी विचार करने का विषय है क्योकि मु.न. 14 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता पूर्व में चालू है दर्ज है कि तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्ट दिखाया गया है इसलिए अप्रार्थी संख्या 20 सुखदर्शनसिंह ने उक्त रास्ता के वर्तमान में चालू होने के कारण सही स्थिति के अनुसार मु.न. 14 के किला नम्बर 21 ता 25 में अपनी सहमति दी है । क्योकि वह अब वह पूर्व में चल रहे रास्ता चक 3 सी छोटी के मु.न. 6 के किला नम्बर 21 ता 25 में रूवीकृत शुद्धा रास्ता में से मु.न. 13,14 के किला नम्बर 21 ता 25 व मु.न. 12 के किला नम्बर 21 ता 25 व इसके चिपते नीचे की ओर मु. न. 17 के किला नम्बर 1 ता 5 व मु.न. 11 के किला नम्बर 21 का कार्नर व मु.न. 18 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में एक–एक विस्वा घरेलु रास्ता जो कि मौका पर चल रहा है का उपयोग कर रहा है। इसलिए उक्त रास्ता लगभग 70 वर्षो से चालू होने के कारण सुखदर्शनसिंह चाहता है जो रास्ता पूर्व में चल रहा था व तहसीलदार रिपोर्ट में आया है वह ही चलता रहे। मु.न. 14 में से अपनी कृषि भूमि में आता जाता रहे है। इसलिए सुखदर्शनसिंह ने तहसीलदार के समक्ष अपनी सहमति दी थी जहां तक इस चरण में प्रार्थीगण के द्वारा रास्ता 80 वर्षो से चलना दिखाया है वह मात्र झूठे कथनों के आधार पर अंकित किए है क्योकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 28.05.2013 को उक्त कृषि भूमि का विभाजन आपस में किया गया था उस समय भी कोई रास्ता चालू नहीं था । वर्तमान गिरदावरी, वर्तमान जमाबंदी व वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मु.न. 31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में किसी प्रकार का कोई रास्ता

Scanned with OKEN Scanner

जमाबंदी से कटा हुआ नहीं है सम्पूर्ण किलों की गिरदावरी हेतु है सम्पूर्ण का लगान भरा जाता है इस चरण में यह कथन कि यहां पर रास्ता था मात्र झूठे कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है क्योकि मु. न. 31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में कभी भी रास्ता चालू नहीं था व अप्रार्थीगण के द्वारा कभी भी रास्ता बंद नहीं किया क्योकि जब कभी रास्ता चालू ही नहीं था तो बंद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मु.न. 31 के जो कि पक्की सड़क के ऊपर है अप्रार्थीगण उसी का उपयोग करते है कभी भी रास्ता मु.न. 31 के किला नम्बर 1,10, 11,20, 21 में चालू नहीं रहा मात्र प्रार्थना पत्र को आधार बनाने के लिए इस चरण में यह तथ्य अंकित किए गए है और पिछले 70 वर्षो से जो रास्ता चालू है उसका विवरण तहसीलदार के द्वारा अपने रिपोर्ट की चरण संख्या 1 में दिया गया है तहसीलदार के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि किस काश्तकार को कहां से रास्ता से सुविधाजनक रहेगा। इसका वर्णन जवाब के अतिरिक्त कथन में सहविस्तार किया जावेगा। इस चरण में प्रार्थीगण का यह कथन कि जो प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया है यही मात्र एक रास्ता प्रार्थीगण की कृषि भूमि को जाता है मिथ्या आधारों का वर्णन किया गया है क्योकि रास्ता कभी भी मु.न. 31 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में चालू नहीं था। यहां यह कथन करना भी अति आवश्यक है कि प्रार्थीगण के द्वारा जो उक्त प्रार्थना पत्र में रास्ता के रूप में अनुतोष चाहा है वह चक 2 सी छोटी के मु.न. 31 के किला नम्बर 1, 10, 11,20,21 व मु.न. 18 के किला नम्बर 1,10,11,20, 21 व मु.न. 11के किला नम्बर 21 का कानॅर व मु.न. 17 के किला नम्बर 1 ता 5 व मु.न.12 के किला नम्बर 21 ता 25, मु.न. 13 के किला नम्बर 21 ता 25 व मु.न. 14 के किला नम्बर 21 ता 25 में दो–दो विस्वा रास्ता का अनुतोष चाहा है यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि पूरे प्रार्थना पत्र में उनके द्वार मु.न. 31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 का ही वर्णन किया गया अर्थात मु.न.31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता चालू दिखाकर स्वीकृत कराने के आश्य से मनगढत कहानी के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 स्वीकार नहीं है क्योकि इस चरण में प्रार्थीगण के द्वारा जो रास्ता चाहा गया है उन्ही के ही काश्तकार है जहां तक औपचारिक पक्षकार की बात है राजनैतिक दबाव व प्रार्थीगण के अपने परिवार के सदस्यों को ही औपचारिक पक्षकार बनाया है उन्हें पक्षकार बनाया जा सकता था। परन्तु प्रार्थना पत्र को मोड़ देने के लिए व ईकवालीया जवाब को प्रस्तुत करवाकर मिथ्या कथनों के आधार पर रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए उन्हे औपचारिक पक्षकार बनाया है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को कभी भी रास्ता स्वीकृत करवाने को नहीं कहा और ना ही दिनांक 23.06.2023 को प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से मिले, मात्र झूठे कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र को आधार बनाने के लिए वाद कारण बनाने के लिए दिनांक 23.06.2023 का सहारा लिया गया है यहां पर यह कथन करना भी जरूरी है कि प्रार्थीगण ने इस चरण में लिखा है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से मिले तथा जिन काश्तकारो की भूमि में पूर्व में रास्ता चालू है जो तहसीलदार की रिपोर्ट के पैरा संख्या 1 में वर्णन किया गया है उन काश्तकारों से कभी भी नहीं मिले उसी रास्ता से प्रार्थीगण आ जा रहे है वही रास्ता पिछले करीब 70 वर्षो से चालू है इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा मु.न. 31 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में रास्ता दिखाकर मिथ्या कथनों के आधार पर रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु व वाद का आधार बनाने के लिए दिनांक 23.06.2023 की दिनांक मिथ्या अंकित करते हुए जो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह वाद कारण नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। रिवन्यू बोर्ड के आदेशानुसार श्रीमान् न्यायालय को वही प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार है जहां पर रास्ता चालू हो और उसका विवाद हो परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में रास्ता मु.न.31 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में चालू नहीं है मात्र प्रार्थना पत्र को आधार बनाने के लिए मिथ्या अंकित किया गया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र का सुनने को अधिकार श्रीमान् न्यायालय को नहीं है। अतिरिक्त कथन– तहसीलदार रिपोर्ट पैरा संख्या 1 में यह है कि प्रार्थी में अपने रकबा में आने–जाने के लिए एव चक 3 सी छोटी के मु.न. 15 के किला नम्बर 1,10,11,20,221 एव चक 3 सी छोटी के मु.न. 6 में किला नम्बर 21 से 25 में स्वीकृत शुद्दा रास्ते में मु.न. 13,14 के किला नम्बर 21 से 25 एव मु.न. 12 के किला नम्बर 21 से 25 तथा इसके चिपता नीचे की ओर मु.न. 17 के किला नम्बर 1 ता 5 एव मु.न. 11 के किला नम्बर 21 का कार्नर एव मु.न. 18 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में एक–एक विस्वा घरेलु रास्ता जो कि मौके पर चल रहा है का उपयोग कर रहा है तथा इसी रिपोर्ट में पैरा नम्बर 5 में बताया गया है कि वर्तमान में आवागमन हेतु प्रार्थीगण को कौनसा रास्ता चल रहा है। प्रार्थी को वर्तमान में आवागमन हेतु मु.न. 12, 13, 14, 17, 18 में एक–एक विस्वा चालू घरेलु रास्ता की वैकल्पिक व्यवस्था है में वर्णन किया गया है कि वह सही किया गया है जो रास्ता चल रहा है उसको तहसीलदार के द्वारा अपनी रिपोर्ट के पैरा संख्या 1 में दर्शाया गया है वहां यह कथन करना जरूरी है कि मु. न. 32 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से वर्तमान में रास्ता चालू है जो मु.न. 17 मु.न. 16, मु.न.18,15 के काश्तकारों की भूमि को जोड़ता है तहसीलदार की रिपोर्ट की चरण संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कौनसा रास्ता किस काश्तकार को सुविधाजनक रहेगा, रिपोर्ट का पैरा संख्या 2 में प्रार्थीगण के मुताबिक मु.न. 17 के काश्तकारों से नजदीक कटाणी रास्ता मु.न. 31,32 के किला नम्बर 21 से 25 में चल रही पक्की सड़क है मु.न. 13, 14, 16 के काश्तकारों के नजदीकी कटाणी रास्ता मु.न. 15 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 एवम् चक 3 सी छोटी के मु.न. 6 के किला नम्बर 21 ता 25 में मंजूर शुद्दा रास्ता है तथा मु.न. 12 12 के काश्तकारों को उपरोक्त दोनों कटाणी रास्ता बराबर दूरी पर है चरण संख्या 3 में प्रार्थीगण के मुताबिक मु.न. 17, 18 के काश्तकारों के नजदीक कटाणी रास्ता के मु. न. 31 व 32 के किला नम्बर 21 से 25 में चल रही पक्की सड़क है व मु.न. 13,14,16 के काश्तकारों के नजदीक कटाणी रास्ता मु.न. 15 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 व चक 3 सी छोटी के मु.न. 6 के किला नम्बर 21 ता 25 में मंजूरशुद्दा रास्ता है व मु.न. 12 के काश्तकारों को उपरोक्त दोनों कटाणी रास्ता बराबर दूरी पर है में तहसीलदार राजस्व द्वारा उन रास्तों को दिखाया गया है जिस से काश्तकार अपनी कृषि भूमि में कटाणी रास्ता से सीधा अपनी कृषि भूमि प्रवेश कर सकता है उसमें भी जो रास्ता प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया उसका वर्णन नहीं किया गया है अर्थात इससे सिद्ध होता है जो रास्ता प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया है वह कभी चालू नहीं था तथा ना ही व सभी काश्तकारों को सुविधाजनक हो सकता है । तहसीलदार रिपोर्ट के पैरा संख्या 5 में मु.न. 12,13,14,17,18 में एक–एक विस्वा रास्ता चालू रास्ता बताया गया है इस प्रकार प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता है उन्हे किसी प्रकार के रास्ता की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी संख्या 1 कौरसिंह को लगने वाला रास्ता चक 2 सी छोटी में सबसे उपर्युक्त रास्ता मु.न. 33 से मु.न. 16 तक पहुंचने वाला मौजूद रास्ता जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी संख्या 2 गुरजन्टसिंह को लगने वाला ... की ओर से जाने वाली सड़क से होते हुए मु.न. 10 में

(जो कि प्रार्थी संख्या 5) की कृषि भूमि है के खेत से मु.न. 11 में रास्ता जिसका घरेलु तौर पर आज भी उपयोग किया जा रहा है । प्रार्थी संख्या 3 को लगने वाला रास्ता चक 2 सी छोटी से चक 3 के की ओर जाने वाली पक्की सड़क में मु.न.10 में से मु.न. 11 में जो कि रास्ता पटवारी के द्वारा अपनी रिपोर्ट में चालू दिखाया है वही रास्ता है । प्रार्थी संख्या 4 को लगने वाला रास्ता गुरसेवक सिंह की कृषि भूमि पक्की सड़क जो वर्तमान में चक 3 सी छोटी से चक 2 सी छोटी को चल रही है उसके ऊपर मु.न. 33 है आज दिनांक तक पक्की सड़क बनी हुई है उन्हे तो पक्की सड़क पूरे मुरब्बा को लगती है । प्रार्थी संख्या 5 को लगने वाला रास्ता सर्वजीतसिंह को मु.न.16 की कृषि भूमि में आज दिन तक मु.न. 33 से होता हुआ रास्ता चालू है तथा मु.न.10 की भूमि से पक्की सड़क चक 2 सी छोटी से 3 के की ओर जाने वाली सड़क से मात्र एक बीघा किला नम्बर 5 से होकर अपनी भूमि में जाता है वर्तमान में यही से जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण को एक नहीं दो–दो रास्ते लगते है का उपयोग कर रहे है अगर प्रार्थीगण आपस में प्रार्थी प्रार्थी मिलकर एक दूसरों को रास्ता दे तो उन्हे किसी अन्य कि कृषि भूमि से रास्ता की आवश्यकता भी नहीं है। अतःजवाब प्रार्थन पत्र मय अतिरिक्त कथन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता कभी भी चालू नहीं था मात्र प्रार्थना पत्र को आधार बनाने के लिए चालू रास्ता दिखाया गया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाहा गया अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्वय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 8, 12, 13, 16, 17 के द्वारा सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5/1 ता 5/3 के द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3, 6, 9, 15, 20 की तामील विधिवत होने पर अप्रार्थी संख्या 3, 6, 9, 15, 20 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 3, 6, 9, 15, 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

– :: आदेश ::–

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि के लिए रास्ता का अभाव है प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके समर्थन में दस्तावेज ईकरारनामा बैय/फाईनल/सहमति पत्र दिनांकित 01.07.2025, शपथ पत्र कौर सिंह पुत्र नायब सिंह की प्रति पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के बिन्दु अनुसार प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने हेतु मु.नं. 12, 13, 14, 17, 18 में एक एक बिस्वा चालू घरेलू रास्ते की वैकल्पिक व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जरिए बैयनामा मुरबा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रतयेक में दक्षिणी साइड मुरबा नमबर लाइन के साथ साथ 14.50 फुट चौडाई में व 825 फुट लम्बाई में रास्ता खरीद किया गया है। जिससे प्रार्थीगण

अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण को रास्ते की वैकल्पिक व्यवस्था होने एवं रास्ता की आत्यन्तिक आवश्कता साबित नहीं होने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251ए–आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 06.11.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)